न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 4745 / 2006 / हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

.....अपीलार्थी

बनाम

1— रामजीलाल पुत्र आशाराम
2— खेमचन्द) पुत्रगण आशाराम
3— रामचन्द्र)
4— धर्मपाल)
5— जयलाल) पुत्रगण चेतराम
6— देवीलाल)
7— रामपत पुत्र मामचन्द
8— जागेराम (मृतक)
8 / 1 मी पत्नी जागेराम
8 / 2 कुनिता पुत्री जागेराम
9— सीता उर्फ सांबा पुत्र अमीचन्द
सभी जाति जाट निवासी ग्राम शेरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ

श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित:
श्री ओमप्रकाश भट्ट उप—राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री विजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—8 / 1 व 8 / 2 तथा 9 की ओर से।

———

निर्णय

दिनांक :

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 233 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—5—2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7/वादीगण एवं मृतक जोधा पुत्र अमीचन्द ने एक राजस्व वाद बाबत् इस्तकरारहक एवं रिकार्ड दुरूस्ती हेतु विरूद्ध अपीलार्थी राज्य सरकार तथा प्रत्यर्थी /प्रतिवादी जागेराम पुत्र अमीचन्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि चक 12 ए0एम0एस0 के मुरब्बा नंबर 49 के किला नंबर 21, मु0नं0 50 के कि.नं. 21 से 24, कि.नं. 25 की 18 बिस्वा, मु0नं0 51 के कि.नं. 1 से 4,5 की 18 बिस्वा, कि.नं. 6 की 18 बिस्वा, कि.नं. 7 से 14, 15 की 18 बिस्वा, कि.नं. 16 की 18 बिस्वा, कि.नं. 17 से 20, 22, 24, 25 की 18 बिस्वा, मु0नं0 52 के कि.नं. 1, 8 से 13, 18 से 23, मु0नं0 55 के कि.नं. 1 की 18 बिस्वा, कि.नं. 2 की 18 बिस्वा, कि.नं. 3 की 18 बिस्वा, कि.नं. 10 , मु0नं0 56 के कि.नं. 4 की 18 बिस्वा, कि.नं. 5 की 18 बिस्वा कुल 47.16 बीघा मु0नं0 57/23 की 12 बिस्वा व मु0नं0 59/42 की 10 बिस्वा कुल 49 बीघा आसाराम, चेतराम पिसरान जिसुख बहिस्सा बराबर निस्फ रामपत वल्द मामचन्द निस्फ कौम जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा की खातेदारी कृषि भूमि है। भू—प्रबन्ध विभाग ने गलत तौर पर उपर्युक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। आसाराम के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी रामजीलाल, मृतक अमीचन्द व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 खेमचन्द व रामचन्द/वादी जो कि आसाराम के पुत्रगण हैं, वारिस हुए। अमीचन्द की मृत्यु होने से उसके वारिस जोधा (वादी) व प्रत्यर्थी संख्या 8 जागेराम (प्रतिवादी) हैं। प्रतिवादी चेतराम के देहान्त होने पर उसके वारिस प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 व 6 धर्मपाल, जयलाल व देवीलाल (वादी) हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व सवंत 2012 में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के स्वयं के कब्जा काश्त में थी, जो आज तक उनके कब्जे में है। भू—प्रबंध विभाग ने उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून व मौका गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दी। अतः उक्त वाद वादीगण डिक्री जाकर विवादित भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे। राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश किया गया तत्पश्चात् तनकी संख्या—1 कायम की गई तथा वादी की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21—4—2003 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24—5—2005 द्वारा मियाद के बिन्दु पर

ही अपील निरस्त कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर राज्य सरकार ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की है।

3— विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर अपनी बहस में बताया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को होने पर उक्त प्रकरण की विधिक जांच कराने हेतु उन्होंने तहसीलदार को दिनांक 21–7–2005 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया, जो आदेश तहसीलदार को दिनांक 31–7–2005 को प्राप्त हुआ, परन्तु तत्सयम प्रशासन आपके द्वार, नगरपालिका चुनाव, मतदान सूची का पुनरीक्षण, इत्यादि प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसलिए राजस्व मण्डल के समक्ष देरी से अपील पेश की गई है। अतः देरी को कण्डोन किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद मानी जाकर गुणावगुण पर आदेश पारित किया जावे।

4— विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बताया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा के प्रार्थना पत्र में अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित किये गये थे, जिन्हें देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को नरम रूख अपनाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार करना चाहिए तथा गुणावगुण पर अपील में न्यायोचित निर्णय पारित करना चाहिए परन्तु उन्होंने तकनीकी आधार पर ही मियाद बाहर मानकर अपील को निरस्त कर दिया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की ओर गौर नहीं किया कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण अपने आपको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय कृषक साबित करने में असफल रहा एवं उसका कब्जा आराजी मुतनाजा पर संवत 2012 से पूर्व नहीं था। वादीगण द्वारा संवत 2012 से भूमि पर काबिज होने के बाबत खसरा गिरदावरी एवं जमाबंदी आदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इसके बाद भी परीक्षण न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण डिक्री कर दिया है, जो सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज फरमाये जावें।

5— प्रत्यर्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त अपील 90 दिन की मियाद अवधि के बाद 10 माह 24 दिन मियाद बाहर मण्डल के समक्ष अपील पेश की गई है। विपक्षी द्वारा इस बाबत तारीख वार कोई विवरण पेश नहीं किया गया है कि कब उसे फैसले की प्रति प्राप्त हुई तथा कब–कब कौनसी कार्यवाही की गई। इस प्रकार देरी से अपील पेश करने के संतोषप्रद कारण नहीं बताये हैं। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज की जावे।

6— प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने आगे अपनी बहस में बताया कि भू–प्रबंध विभाग को भू–प्रबंध कार्यवाही के समय मात्र पुराने इन्द्रराजों को दोहराने का अधिकार है। भू–प्रबंध विभाग ने जमाबंदी में वादीगण के नाम को गोले से काटकर खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। उन्होंने वादीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी को सिवायचक घोषित करने में विधिक भूल की है। जबकि प्रकरण का गहनता से परीशीलन कर परीक्षण न्यायालय ने समस्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि वादीगण की मानते हुए वाद वादीगण डिक्री किया है। यह सही है कि वादीगण अपने पूर्वजों के समय से आराजी पर काबिज काश्त हैं, पूर्वजों के समय से ही निरन्तर आराजी पर उनका कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण का गहराई से अध्ययन कर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज किया है, जो एक विधिक निर्णय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय पारित किये हैं जिनमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने 2020 (27) आर0बी0जे0 126, 2021 (28) आर0बी0जे0 687, 2016 (23) आर0बी0जे0 115, 2012 (19) आर0बी0जे0 667, 2010 (17) आर0बी0जे0 562, 2021 (28) आर0बी0जे0 278, 2000 (7) आर0बी0जे0 157, 2001 (8) आर0बी0जे0 258, 2020 (27) आर0बी0जे0 221, 1999 (6) आर0बी0जे0 292, 2020 (27) आर0बी0जे0 228, 2020 (27) आर0बी0जे0 314, 2016(23) आर0बी0जे0 374, 2016 (23) आर0बी0जे0 482 तथा 2020 (27) आर0बी0जे0 718 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

7— उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययल किया।

8— सर्वप्रथम राज्य सरकार की ओर से मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी से अपील पेश करने के जो कारण बताये है, वे समुचित एवं संतोषप्रद है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

9— परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21—4—2003 में जिन दो दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण की विवादित आराजी पर काननून खातेदारी मानी है, उनका अवलोकन किया जाना उचित समझते हैं। उन दो दस्तावेजों में प्रथम प्रदर्श —2 नकल जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम 12 ए0एम0एस0 है। उक्त दस्तावेज पर संवत दर्ज नहीं किया गया है और जमाबंदी में जिस जगह संवत दर्ज नहीं किया जाता है वहां दाहिने तरफ (1957) अंकित किया गया है। दूसरा दस्तोवज परीक्षण न्यायालय ने प्रदर्श—3 राजस्थान कोलोनाईजेशन विभाग का प्रपत्र को माना है। उक्त प्रपत्र से भी यह कतई नहीं कहा जा सकता कि संवत 2012 में वादीगण आराजी पर काबिज रहे है या काश्त करते थे। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में प्रदर्श—1 का जिक्र नहीं किया है जिसमें कॉलम संख्या—3 में राजस्थान सरकार तथा कॉलम संख्या—4 में सिवायवक काबिल काश्त अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2029—30 में नाम भूमिधारी कॉलम संख्या 3 में प्रान्तीय सरकार अंकित है।

10— पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने अपने निर्णय में केवल एक ही तनकी इस आशय की कायम की है कि क्या प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है, जो कि पर्याप्त नहीं है। परीक्षण न्यायालय को प्रकरण का पूर्ण रूप से अवलोकन कर आवश्यक तनकियां कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए।

11— प्रस्तुत प्रकरण में केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है जबकि प्रकरण में यह तय किया जाना है कि वर्ष 1955 में अर्थात संवत 2012 में विवादित भूमि पर राजस्व रिकार्ड में किस पक्षकार का नाम दर्ज रिकार्ड है। परीक्षण न्यायालय ने जिन दस्तावेजों के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है, वे समुचित नहीं है।

12— न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—4—2003 के विरूद्ध अपील दिनांक 29—11—2003 को अर्थात 7 माह 8 दिवस बाद अपील पेश की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील तहसीलदार के माध्यम से होती है जिनके पास कई प्रशासनिक कार्य होते है। जिनके द्वारा अपील विलम्ब से भी पेश की जा सकती है। लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात की ओर गौर नहीं किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन नहीं कर मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दु पर ही राज्य सरकार द्वारा पेश अपील खारिज कर दी, जबकि उन्हें पत्रावली पर दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार अपना निर्णय पारित करना चाहिए था। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने दो तनकियां कायम की है, जबकि उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने एक ही तनकी कायम की है, जिससे भी यही प्रतीत होता है कि उन्होंने ने न तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को देखा, न ही यह देखा कि आखिर परीक्षण न्यायालय ने किस आधार पर सिवायचक भूमि को वादीगण की खातेदारी में माना है।

13— दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राज्य सरकार के प्रकरण में राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है।

14— परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—5—2005 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 21—4—2003 खारिज किये जाते हैं तथा प्रकरण उपखण्ड

अधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ को निम्नलिखित निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है :–

1– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा के समक्ष राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा द्वारा जवाब पेश किया गया है, अतः आवश्यक तनकियात कायम की जाकर निर्णय पारित करें।

2– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की तिथि 15–10–1955 अर्थात संवत 2012 की जमाबंदी में अंकित प्रविष्टियों को आधार बनाकर उचित निर्णय पारित करें।

15– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य